

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट/अपर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,लखनऊ ।
सत्र परीक्षण स0.163/2017**

सरकार.....बनाम.....मनोज कुमार वर्मा

आरोप

मैं, अविनाश सक्सेना, विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट, लखनऊ एतद्द्वारा आप मनोज कुमार वर्मा को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:-

1. यह कि दिनांक 24-3-16 को समय करीब 7.30 बजे सायं, स्थान बहद ग्राम अस्ती , थाना बक्शी का तालाब,जिला- लखनऊ में आपने सामान्य आशय की पूर्ति में वादी पन्नालाल की पत्नी, जो अनुसूचित जाति का सदस्य है,को स्वेच्छया से मारपीट कर उपहति कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा एक ऐसा अपराध कारित किया जो कि भादंस की धारा **323** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।
- 2- यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आपने सामान्य आशय की पूर्ति में वादी मुकदमा उपरोक्त व उसकी पत्नी मझली जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को अपमानित करने के आशय से जाति सूचक गालियाँ दी। इस प्रकार आप लोगो द्वारा एक ऐसा अपराध कारित किया जो कि भादंस की धारा **504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।
3. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आपने वादी मुकदमा उपरोक्त व उसकी पत्नी मझली जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जान माल की धमकी दी। इस प्रकार आप लोगो द्वारा एक ऐसा अपराध कारित किया जो कि भादंस की धारा **506** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।
- 4- यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आपने सामान्य आशय की पूर्ति में वादी उपरोक्त व उसकी पत्नी मंझली,जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, को स्वेच्छया से मारपीट कर उपहति कारित की, अपमानित करने के आशय से गालिया दी व जान माल की धमकी दी। इस प्रकार से आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया जोकि **धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक :05/06/2017
(अविनाश सक्सेना),
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,लखनऊ।

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांक :05/06/2017
(अविनाश सक्सेना),
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट/अपर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0:163/2017

सरकार

बनाम

मनोज कुमार वर्मा

05.06.17

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आरोप विरचन हेतु नियत है। आरोप के बिन्दु पर उभय पक्ष को सुना गया।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय का ध्यान मामले में केस डायरी तथा अन्य पुलिस प्रपत्रों की ओर आकृष्ट करते हुये कहा गया कि अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा के बिरुद्ध धारा 323,504,506 भादंस व 3(1)10एस.सी.एस.टी.एक्ट में आरोप बनाये जाने हेतु विवेचक द्वारा विवेचना के अनुक्रम में पर्याप्त साक्ष्य संकलित किया गया है उसके आधार पर अभियुक्त के बिरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन आरोप विरचित किया जाता है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि केस डायरी एवं विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य धारा 161 दप्रसं के आधार पर अभियुक्त के बिरुद्ध आरोप नहीं बनता है अतः अभियुक्त को उन्मोचित किया जाय।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

आरोप विरचन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अवधारित विधि व्यवस्था उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ पंधी,एआईआर 2005,एस0सी0 पेज 359 सम्बन्धी प्रकरण में यह सिद्धान्त प्रति पादित किया गया है कि आरोप विरचित किये जाते समय अभियुक्त के बचाव को महत्व नहीं दिया जायेगा। मामले का सूक्ष्म परीक्षण(MINI TRIAL)अनुमन्य नहीं है। तदनुरूप आरोप विरचित किया जाता है अथवा प्रसंज्ञान लिया जाता है। अभियुक्तगण को कोई साक्ष्य अथवा सामग्री प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बलविन्दर सिंह बनाम पलविन्दर सिंह व अन्य बनाम,2009,(1)जेआईसी,पेज 73, सम्बन्धी प्रकरण में यह अवधारित किया गया है कि आरोप विरचित किये जाते समय न्यायालय का क्षेत्राधिकार अत्यंत सीमित है तथा आरोप गम्भीर सम्भावनाओं के आधार पर विरचित किया जा सकता है आरोप तय किये जाने के स्तर पर साक्ष्य की विवेचना किये जाने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

यही सिद्धान्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बनाम मोहन लाल सोनी, (2000)6,एससीसी,पेज 338, तथा मध्य प्रदेश राज्य बनाम,एस0पी0जौहरी,(2000)2,एससीसी,पेज 57, एवं महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रिया शरण महाराज एवं अन्य,(1997)4,एससीसी पेज 393 सम्बन्धी प्रकरण में भी यही अभिमत प्रति पादित किया गया है कि आरोप विरचन किये जाने के स्तर पर साक्ष्य के विस्तृत निर्वचन की आवश्यकता नहीं होती है।

उपरोक्त निर्णयज विधि व्यवस्थाओं के अनुरूप मैंने पत्रावली का परिशीलन किया। तथा विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य का परीक्षण किया। उक्त निर्णय विधियों एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर मैं यह पाता हूँ कि अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा उपरोक्त के बिरुद्ध धारा 323,504,506 भादंस व 3(1)10एस.सी.एस.टी.एक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा के बिरुद्ध धारा 323,504,506 भादंस व 3(1)10एस.सी.एस.टी.एक्ट के अधीन आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया गया अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया व परीक्षण की माँग व्यक्त की। अभियोजन साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 03-07-17 के लिये नियत हो। साक्षीगण नियत तिथि हेतु तलब हों।

विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0एस0टी0एक्ट,लखनऊ।

